

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

## प्ररूप 21 (ग)

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

### लोक प्रति निधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तराखण्ड की 06-कर्णप्रयाग विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री अनिल नौटियाल, निवासी पलसारी, गौचर, जनपद चमोली, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-रा0स्ना0महा0गोपेश्वर।

दिनांक- 10मार्च, 2022

रिटर्निंग आफिसर,

06-कर्णप्रयाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

रिटर्निंग आफिसर,

वि0स0क्ष0 06-कर्णप्रयाग /  
उप जिला अधिकारी, कर्णप्रयाग।

Conduct of Elections Rules, 1961  
(Statutory Rules and Order)

## Form 21 C

(See rule 64)

(for use in General Election when seat is contested)

### Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951.

---

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand From the 06-  
Karnprayag Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that- **Shri Anil Nautiyal Resident of Palsari, Gauchar, District Chamoli, Sponsored by Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Govt.P.G..College Gopeshwar.

Date: 10 March, 2022

Returning Officer,

06-Karnprayag,

Legislative Assembly Constituency.

रिटर्निंग आफिसर,

वि०स००६० ०६-कर्णप्रयाग /

उप जिला अधिकारी, कर्णप्रयाग